सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/163 दर्ज तिथिः– 19.03.2024

1. पालूदेवी पुत्री किसनाराम पत्नी रावताराम
2. रेवन्ती देवी पुत्री किसनाराम पत्नी पारसराम
   जाति मेघवाल निवासी तेजियावास तहसील गुड़ामालानी हाल निवासी अणदाणियों की बेरी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।

............................वादी

बनाम

1. वरिंगाराम पुत्र किसनाराम
2. रमेश कुमार पुत्र किसनाराम
3. चुनीदेवी पत्नी किसनाराम
   जाति मेघवाल निवासी तेजियावास तहसील गुड़ामालानी
4. कमला पत्नी पदमाराम जाति मेघवाल निवासी मानसिंह की बेरी खारी तहसील धोरीमन्ना।
5. छोगाराम पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी पीपराली तहसील गुड़ामालानी
6. छगनीदेवी पत्नी बगाराम जाति गुरूड़ा निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी।

..........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री सुखराम विश्नोई
प्रतिवादीः– एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–ःनिर्णयः–

1. आज यह पत्रावली दावा बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र निणर्यन हेतु प्रकरण का सारतः सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:06 IST
Reason: SelfAttested

- कि आराजी खसरा संख्या 15 / 0–03 बीघा, 16 / 0–01 बीघा, 17 / 40–06 बीघा कुल रकबा 40–10 बीघा मौजा तेजियावास तहसील गुड़ामालानी में वादीनी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज किशनाराम के समय की खातेदारी आराजी दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी में से सरकार के पक्ष में रास्ते हेतु भूमि अवाप्त होने के पश्चात् वर्तमान में खसरा संख्या 180 / 17 / 4.4536 है0 खसरा संख्या 17 / 5 / 1.1331 है0 कुल रकबा 34–51 बीघा मौजा तेजियावास तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है।
- कि उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वज किशनाराम पुत्र धनाराम की खातेदारी आराजी थी। किशनाराम पुत्र धनाराम की मृत्यु होने के पश्चात् फौतगी नामांतरकरण अकेले प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम दर्ज करवा लिया गया। जबकि वादीगण भी किशनाराम की पुत्री होने के कारण नामांतरकरण में नाम दर्ज करवाने की हकदार थी। परंतु वादीगण का नाम नामांतरकरण में दर्ज नहीं किया गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

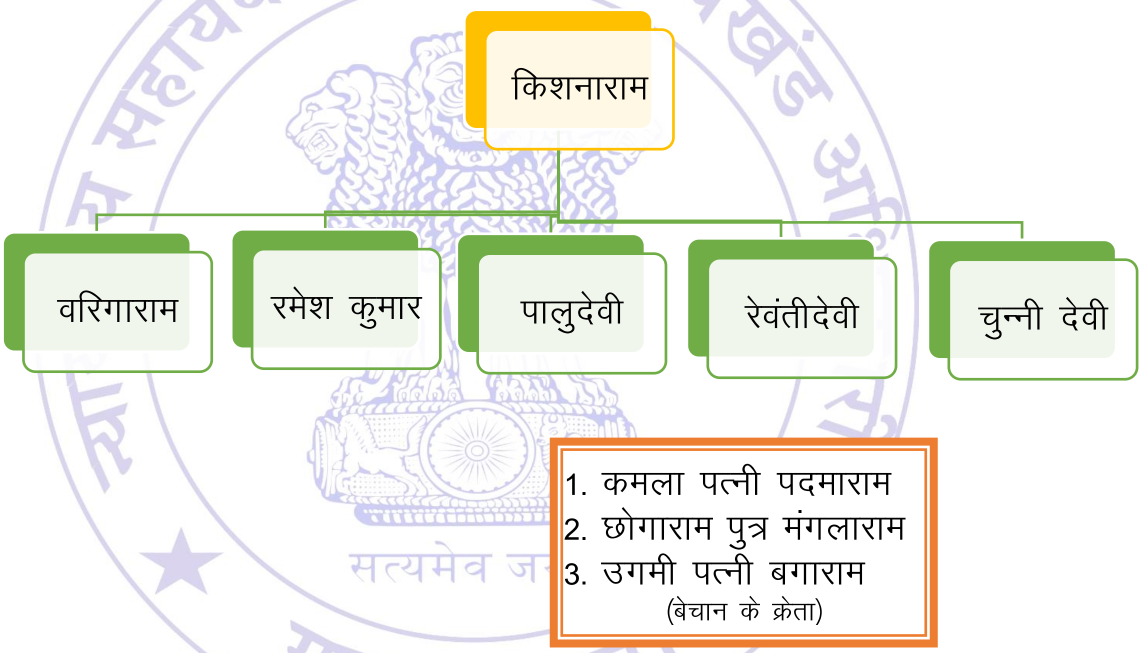

- कि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 02 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 21.07.2019 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। इसी प्रकार उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 24.04.2018 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। इसी प्रकार उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 02.06.2014 द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। इसी प्रकार उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 17.08.2012 द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। उक्त बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 21.07.2019 व 24.

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:06 IST
Reason: SelfAttested

04.2018 में वादीगण के पक्षकार नहीं होने के कारण वादीगण उक्त बयनामा से पाबंद व जिम्मेदार नहीं है। इस कारण वादीगण उक्त विवादित बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है। इस आधार पर वादीगण अपने हिस्से की पैतृक भूमि में घोषणा करवाने के अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादी वादीगण के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

- कि वादीगण के उक्त आधारों पर निम्न अनुतोष निवेदित हैः—
    1. उक्त आराजी खसरा संख्या 180 / 17 / 4.4536 है0 खसरा संख्या 17 / 5 / 1.1331 है0 कुल रकबा 34—51 बीघा मौजा तेजियावास तहसील गुड़ामालानी में वादीगण का 2 / 5 हिस्सा घोषित किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे।
    2. मुतनाजा आराजी के संबंध में निष्पादित बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 वादीगण के अधिकारों के प्रति आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जावे।
    3. वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।
    4. अन्य अनुतोष।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी के अनुतोष निम्न प्रकार हैंः—
    - उक्त आराजी खसरा संख्या 180 / 17 / 4.4536 है0 खसरा संख्या 17 / 5 / 1.1331 है0 कुल रकबा 34—51 बीघा मौजा तेजियावास तहसील गुड़ामालानी में वादीगण का 2 / 5 हिस्सा घोषित किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे।
    - मुतनाजा आराजी के संबंध में निष्पादित बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 वादीगण के अधिकारों के प्रति आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जावे।
    - वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

3. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

दस्तावेज	संवत / विवरण	
जमाबंदी	खाता संख्या 22 सम्वंत 2073—2076	
जमाबंदी	खाता संख्या 47 सम्वंत 2073—2076	
जमाबंदी	खाता संख्या 44 सम्वंत 2073—2076	
जमाबंदी	खाता संख्या 88 सम्वंत 2073—2076	
जमाबंदी	खाता संख्या 01 सम्वंत 2073—2076	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:06 IST
Reason: SelfAttested

नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 313 ग्राम पंचायत तेजियावास	
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 285 ग्राम पंचायत तेजियावास	
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 400 ग्राम पंचायत तेजियावास	
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 333 ग्राम पंचायत तेजियावास	
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 315 ग्राम पंचायत तेजियावास	
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 295 ग्राम पंचायत तेजियावास	
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 458 ग्राम पंचायत तेजियावास	
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 449 ग्राम पंचायत तेजियावास	
—	आधार कार्ड पालु पत्नी रावताराम	
	आधार कार्ड रेवंती पत्नी पारसचंद	
	जनाधार कार्ड पालुदेवी	
	जनाधार कार्ड रेवंतीदेवी	

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
पालुदेवी पुत्री किशनाराम	मेगवाल	तेजियावास	पी0डब्ल्यू0—1
रेवंती पुत्री किशनाराम	मेगवाल	तेजियावास	पी0डब्ल्यू0—2
लुम्बाराम पुत्र धनाराम	जाट	तेजियावास	पी0डब्ल्यू0—3

5. प्रकरण में पालुदेवी पुत्री किशनाराम पी.डब्ल्यू.—01 तथा रेवंती पुत्री किशनाराम पी. डब्ल्यू.—02 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

- कि उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वज किशनाराम पुत्र धनाराम की खातेदारी आराजी थी। किशनाराम पुत्र धनाराम की मृत्यु होने के पश्चात् फौतगी नामांतरकरण अकेले प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम दर्ज करवा लिया गया। जबकि वादीगण भी किशनाराम की पुत्री होने के कारण नामांतरकरण में नाम दर्ज करवाने की हकदार थी। परंतु वादीगण का नाम नामांतरकरण में दर्ज नहीं किया गया।
- कि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 02 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 21.07.2019 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। इसी प्रकार उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 24.04.2018 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। इसी प्रकार उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 02.06.2014 द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। इसी प्रकार उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 17.08.2012 द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। उक्त बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 21.07.2019 व 24.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:06 IST
Reason: SelfAttested

04.2018 में वादीगण के पक्षकार नहीं होने के कारण वादीगण उक्त बयनामा से पाबंद व जिम्मेदार नहीं है। इस कारण वादीगण उक्त विवादित बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है। इस आधार पर वादीगण अपने हिस्से की पैतृक भूमि में घोषणा करवाने के अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादी वादीगण के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

6. प्रकरण में लुम्बाराम पुत्र धनाराम पी.डब्ल्यू.–03 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार कथन किये–
   - कि उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वज किशनाराम पुत्र धनाराम की खातेदारी आराजी थी। किशनाराम पुत्र धनाराम की मृत्यु होने के पश्चात् फौतगी नामांतरकरण अकेले प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम दर्ज करवा लिया गया। जबकि वादीगण भी किशनाराम की पुत्री होने के कारण नामांतरकरण में नाम दर्ज करवाने की हकदार थी। परंतु वादीगण का नाम नामांतरकरण में दर्ज नहीं किया गया।
   - उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 02 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 21.07.2019 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। इसी प्रकार उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 24.04.2018 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। इसी प्रकार उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 02.06.2014 द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। इसी प्रकार उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 17.08.2012 द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। उक्त बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 21.07.2019 व 24.04.2018 में वादीगण के पक्षकार नहीं होने के कारण वादीगण उक्त बयनामा से पाबंद व जिम्मेदार नहीं है। इस कारण वादीगण उक्त विवादित बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है। इस आधार पर वादीगण अपने हिस्से की पैतृक भूमि में घोषणा करवाने के अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादी वादीगण के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

7. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपने दावे के तथ्यों को दौहराते हुए दावा डिक्री करने का निवेदन किया। मैनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब प्रकरण का अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में सर्वप्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अनुतोष के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम अनुतोष निम्न प्रकार हैः–

1. आराजी खसरा संख्या 180/17/4.4536 है0 खसरा संख्या 17/5/1.1331 है0 कुल रकबा 34–51 बीघा मौजा तेजियावास तहसील गुड़ामालानी में वादीगण का 2/5 हिस्सा घोषित किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे।

8. प्रथम अनुतोष को साबित करने का भार वादी के उपर है। प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा एक ही पुरूष पूर्वज किशनाराम के वारिस हैं। किशनाराम की मृत्यु के पश्चात् फौतगी नामांतरकरण 295 केवल प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम दायर किया गया। जबकि वादीगण के किशनाराम की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होने के बावजूद भी नामांतरकरण में नाम नहीं आया। जिससे वादीगण के किशनाराम की विधिक वारिस होने के आधार पर खोतदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है।

9. इसी प्रकार प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादीगण पालुदेवी एवं रेवंतीदेवी तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 किशनाराम के विधिक वारिसान हैं। इस प्रकार किशनाराम की फौतगी का नामांतरकरण संख्या 295 दर्ज करते समय पुत्र व पुत्रियों को समान हक निहित होने के कारण आराजी पर सभी का नाम दर्ज होना कानूनी रूप से अपेक्षित था। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा किशनाराम के केवल पुत्र व पत्नी का ही नाम नामांतरकरण में दर्ज किया गया। जबकि किशनाराम की पुत्रियों को भी विरासत में समान अधिकार निहित होने के कारण नामांतरकरण में नाम दर्ज होना कानूनी रूप से अपेक्षित था। इस प्रकार नामांतरकरण संख्या 295 दर्ज करते समय कानूनी भूल की गई। इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के किशनाराम वल्द धनाराम के प्रथम श्रेणी के वारिस होने के आधार पर वादीगण का उक्त आराजी में 2/5 हिस्सा निहित होने के आधार पर वादी का अनुतोष मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार हक हिस्से तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. प्रकरण में नामांतरकरण संख्या 295 दायर होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 क्रमशः वरिंगाराम पुत्र किसनाराम रमेश कुमार पुत्र किसनाराम एवं चुनीदेवी पत्नी किसनाराम के नाम खातेदारी दर्ज हुई। तत्पश्चात् प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 द्वारा उक्त आराजी में से बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 अलग–अलग समय पर आराजी का बैचान किया गया है। उक्त बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 तथा नामांतरकरण संख्या 400, 333, 315, 458 एवं 449 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01–03 द्वारा अलग–अलग समय पर प्रतिवादी संख्या 04–06 के पक्ष में बयनामा पंजीकृत करवाया गया है। मुतनाजा आराजी के हाल राजस्व रिकॉर्ड का अंकन का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वर्तमान में केवल खसरा संख्या 15, 16 व 180/17 रकबा 4.4536 है0 में ही प्रतिवादी संख्या 01 ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:06 IST
Reason: SelfAttested

03 का नाम दर्ज रिकॉर्ड है। शेष खसरे का पूर्ण बैचान किये जाने तथा पश्चात्वर्ती विभाजन के कारण वर्तमान में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का नाम दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। अब इस स्थिति में प्रकरण में बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 की वैद्यता के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

11. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका, प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः–

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः–*
   - *आपातकालेः– विधिक आवश्यकतार्थ।*
   - *कुटुम्बार्थेः– परिवार के हितार्थ।*
   - *धर्मार्थेः– पवित्र उद्देश्य हेतु।*

12. प्रकरण में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के विधिक आवश्यकता के तहत परिवार के लाभ हेतु संपति का बेचान द्वारा के अंतरण की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः–

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा आपातकालेः–विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण कर सकता है।*
2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*
3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता का आचरण विवेकपूर्ण पुरूष के समान होना आवश्यक है।*
4. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु अंतरण एवं संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का युक्तियुक्त होना आवश्यक है।*

13. प्रकरण सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझने के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:06 IST
Reason: SelfAttested

पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व के बारे में समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के तहत सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व की संकल्पना / अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः–

1. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*
2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की उत्पन्न परिस्थितियां के बारे में क्रेता को अंतरण से पूर्व वास्तविक रूप से जानकारी करने का विधिक दायित्व होता है।*
3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने को साबित करने का विधिक भार / दायित्व क्रेता के उपर होता है।*
4. *सहदायिकी संपति को पूर्ववर्ती ऋण हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।*
5. *सहदायिकी संपति को परिवार या सहदायिकी संपति के लाभ या निवेश हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।*

14. इस संबंध में हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है। हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा *आपातकालेः–विधिक आवश्यकतार्थ* अंतरण कर सकता है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के सहदायिकी संपति के प्रबंधन / अंतरण के पश्चात ही कर्ता द्वारा अंतरण के विरूद्ध अन्य सहदायक को कर्ता द्वारा अंतरण को विधिक आवश्यकता नहीं होने के आधार पर अंतरण किए जाने के आधार पर ही कर्ता द्वारा किए गए अंतरण को निष्फल करवाने का विकल्प / उपचार उपलब्ध है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:06 IST
Reason: SelfAttested

15. हिन्दू विधि की उक्त स्पष्ट स्थिति के आलोक में प्रकरण में उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01—03 द्वारा मुतनाजा आराजी का पंजीकृत बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 04—06 को किया गया अंतरण अपने हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के रूप में निष्पादित किया गया है। अब प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01—03 द्वारा मुतनाजा आराजी का पंजीकृत बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 04—06 को किया गया अंतरण का विधिक आवश्यकता के आधार पर निष्पादित किये जाने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

16. इस संबंध में बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01—03 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के संयुक्त परिवार के कर्ता हैं। प्रतिवादी संख्या 01—03 ने अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी पैतृक आराजी को बेचने का निर्णय लिया। विक्रेता ने अपने परिवार की आवश्यकताओं हेतु रूपयों की जरूरत होने के लिए संपति का बेचान किए जाने बाबत् पंजीकृत बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 में स्पष्ट अभिकथन किया है। इस प्रकार प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के पश्चात् ही प्रतिवादी संख्या 01—03 द्वारा संपति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने कारण ही सम्पति का बेचान किया गया है। इस प्रकार हिन्दु विधि द्वारा संयुक्त परिवार के कर्ता द्वारा पैतृक आराजी का विधिक आवश्यकता हेतु बेचान किये जाने की शर्त पुष्ट प्रतीत होती है।

17. प्रकरण में कुल आराजी 34—56 बीघा भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की पैतृक भूमि है। उक्त भूमि में वादीगण का 2 / 5 हिस्सा निहित है। इस प्रकार वादीगण के हिस्से में करीब 13—50 बीघा भूमि का हक बनता है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 द्वारा पंजीकृत बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 के जरिये अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया गया है। उक्त पंजीकृत बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 की भूमि को पृथक रखते हुए खसरा संख्या 180 / 17 / 4.4536 है0 आराजी में वादीगण की करीब 13—50 बीघा भूमि अथवा 22014 वर्गमीटर भूमि संयुक्त रूप से हक हिस्से में आती है। इस प्रकार प्रकरण में स्पष्ट है कि खसरा संख्या 180 / 17 / 4.4536 है0 आराजी में वादीगण की करीब 13—50 बीघा भूमि अथवा 22014 वर्गमीटर का हक हिस्सा बनता है। प्रकरण में खसरा संख्या 180 / 17 / 4.4536 है0 आराजी में वादीगण की करीब 13—50 बीघा भूमि अथवा 22014 वर्गमीटर के हक हिस्से को खसरा संख्या 180 / 17 / 4.4536 है0 आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01—03 के हक हिस्से में से कम किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है अर्थात खसरा संख्या 180 / 17 / 4.4536 है0 आराजी में से प्रतिवादीगण 04—06 को किये गये दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 को सुरक्षित रखते हुए शेष आराजी में से प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के हिस्से में आई भूमि में से वादीगण के हक हिस्से की आराजी 22014 वर्गमीटर पर खातेदारी घोषित किया जाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:06 IST
Reason: SelfAttested

उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अनुतोष संख्या 01 वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है।

18. निष्कर्षतः पंजीकृत बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01–02 द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए सहदायिकी संपति का अंतरण किये जाने को उचित एवं विधिसंगत मानना न्यायालय उचित समझता है। इस आधार पर वादीगण का पंजीकृत बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01–02 द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति के अंतरण से वादीगण को बाध्य होना न्यायालय उचित समझता है। इस आधार पर वादीगण का पंजीकृत बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01–02 द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति में वादीगण का कोई हक न्यायालय नहीं पाता है। इस आधार पर अनुतोष संख्या 02 वादीगण के पक्ष में अस्वीकार किया जाता है।

19. प्रकरण में अगला अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> > *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> > *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> > *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> > *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

20. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:06 IST
Reason: SelfAttested

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

21. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

22. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के किशनाराम वल्द धनाराम के प्रथम श्रेणी के वारिस होने के आधार पर वादीगण का उक्त आराजी में 2/5 हिस्सा निहित होने के आधार पर वादी का अनुतोष मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार हक हिस्से तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में खसरा संख्या 180/17/4.4536 है0 आराजी में वादीगण की करीब 13–50 बीघा भूमि अथवा 22014 वर्गमीटर के हक हिस्से को खसरा संख्या 180/17/4.4536 है0 आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01–03 के हक हिस्से में से कम किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है अर्थात खसरा संख्या 180/17/4.4536 है0 आराजी में से प्रतिवादीगण 04–06 को किये गये बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 को सुरक्षित रखते हुए शेष आराजी में से प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के हिस्से में आई भूमि में से वादीगण के हक हिस्से की आराजी 22014 वर्गमीटर पर खातेदारी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा वादीगण को मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 180/17/4.4536 है0 आराजी में से प्रतिवादीगण 04–06 को पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 द्वारा किये गये अंतरण को सुरक्षित रखते हुए शेष आराजी में से प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के हिस्से में आई भूमि में से वादीगण के कुल पैतृक आराजी में निहित 2/5 हक

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:06 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से की आराजी 22014 वर्गमीटर की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाती है। साथ ही वादी को उक्त घोषणा मुताबिक राजस्व इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त घोषणा अनुसार आराजी की आमदरफत में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 26.05.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः- 2024 / 163 दर्ज तिथिः- 19.03.2024

1. पालूदेवी पुत्री किसनाराम पत्नी रावताराम
2. रेवन्ती देवी पुत्री किसनाराम पत्नी पारसराम
   जाति मेघवाल निवासी तेजियावास तहसील गुड़ामालानी हाल निवासी अणदाणियों की बेरी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।

............................वादी

बनाम

1. वरिंगाराम पुत्र किसनाराम
2. रमेश कुमार पुत्र किसनाराम
3. चुनीदेवी पत्नी किसनाराम
   जाति मेघवाल निवासी तेजियावास तहसील गुड़ामालानी
4. कमला पत्नी पदमाराम जाति मेघवाल निवासी मानसिंह की बेरी खारी तहसील धोरीमन्ना।
5. छोगाराम पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी पीपराली तहसील गुड़ामालानी
6. छगनीदेवी पत्नी बगाराम जाति गुरूड़ा निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी।

..........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः- श्री सुखराम विश्नोई
प्रतिवादीः- एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955

-:पर्चा डिक्रीः-

वादीगण का दावा आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा वादीगण को मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 180/17/4.4536 है0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:06 IST
Reason: SelfAttested

आराजी में से प्रतिवादीगण 04–06 को पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 17.08.2012, 02.06.2014, 31.07.2019 व 24.04.2018 द्वारा किये गये अंतरण को सुरक्षित रखते हुए शेष आराजी में से प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के हिस्से में आई भूमि में से वादीगण के कुल पैतृक आराजी में निहित 2/5 हक हिस्से की आराजी 22014 वर्गमीटर की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाती है। साथ ही वादी को उक्त घोषणा मुताबिक राजस्व इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त घोषणा अनुसार आराजी की आमदरफत में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:06 IST
Reason: SelfAttested